न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र / याचिका / 3 / 2016

1–विष्णू
2–रामबाबू
3–गोविन्द
4–मोहन
5–राजेश
6–उमेश कुमार।
7–दीपक कुमार।

पुत्रान स्व0 मेढूराम जाति ब्राहम्ण निवासी सेवर तहसील व जिला भरतपुर

.....प्रार्थीगण

बनाम

1–परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एन.एच..–11 (परियोजना इकाई) दौसा
2–भूमि अवाप्ती अधिकारी (प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी) भरतपुर

.....अप्रार्थीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

याचिका धारा 3जी 5 एन.एच.डब्लू अधिनियम खिलाफ एवार्ड भूमि अवाप्ती अधिकारी उपजिला कलेक्टर भरतपुर बाबत आराजी-खसरा नम्बर 781 व 786

निर्णय **दिनांक 6.2.2018**

प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र याचिका पिटीशन अन्तर्गत धारा 3 जी5 एनएच एक्ट इस आश्य का पेश किया जो संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 1765 रकवा 8 ऐअर में से अर्जित रकबा 2 बैल मुआवजा 2.50 लाख रुपये , आराजी खसरा नम्बर 1439 रकवा 516 वर्ग मीटर में से अर्जित रकबा 1/4वर्ग मीटर मुआवजा लगभीग 40312/–रुपये, आराजी खसरा नम्बर 1444रकवा 1071वग्रमीटर में से अर्जित रकबा 1/4 वर्ग मीटर मुआवजा लगभग 83672/– रुपये, आराजी खसरा नम्बर 1798 रकवा 570 वर्ग मीटर में से अर्जित रकबा 1/4 वर्ग मीटर मुआवजा 44531 रुपये, आराजीयान खसरा नम्बर 1794 रकवा .73 हे0 में से 8 ऐयर रकबा का मुआवजा लगभग 2.50 लाख रुपये बाके ग्रांम सेवर अवाप्त की गई थी जिसका एवार्ड भूमि अवाप्ति अधिकारी ने कृर्षि भूमि मानते हुए कृषि की दर से प्रति वर्ग मीटर 312.50 रुपये की दर से कुल अर्जित रकबे का एवार्ड कुल 668515.25/– रुपये व इस पर 10प्रतिशत 66851.52 रुपये पारित किया गया था

.....2

कुल 735366/– 77 पैसे एवं इस पर 18 प्रतिशत की दर से ब्याज दिलाये जाने की प्रार्थना की गई है। भूमि अवाप्ति अधिकारी एस.डी.ओ. भरतपुर ने प्रार्थी की अवाप्त शुदा आराजी रकवे का मुआवजा राशि का भुगतान आज तक नहीं किया गया है। मुआवजा राशि मय 18 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान कराया जावे।

प्रार्थना पत्र/याचिका दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी. की तलबी की गई। भूमि अवाप्ति अधिकारी एस.डी.ओ.भरतपुर से रिपोर्ट तलब की गई। अप्रार्थी एन.एच. की ओर से जबाब पेश किया गया जो शामिल पत्राावली किया गया। उपखण्ड अधिकारी भरतपुर से प्राप्त रिपोर्ट पत्र क्रमांक भू0अ0/2017/742 दिनांक 21.7.2017 एवं पत्र क्रमांक/आबटन/18/26 दिनांक 11.1.18 शामिल पत्रावली किया गया। उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी एन.एच. की ओर से लिखित बहस पेश की गई, जो शामिल पत्रावली की गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये बताया कि नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के लिये भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा ग्रांम सेवर स्थित आराजी खसरा नम्बर 1439,1444,1798,1794 के रकवे में एन.एच. के लिये भूमि अवाप्ति की गई है। स्व. मेढू पुत्र रामचन्द उक्त आराजीयात में मुताविक हिस्सा खातेदार काश्तकार थे। उक्त अवाप्ति भूमि आराजी खसरा नम्बरान में अन्य खातेदारान के साथ स्व. मेढू पुत्र रामचन्द का रकवा अवाप्ति किया गया है। उनका कहना है कि मुआवजा का अवार्ड भूमि अवाप्ति अधिकारी एस.डी.ओ. ने जारी किया गया है परन्तु मुआवजा राशि का भुगतान आज दिनांक तक नही किया गया है। उनका कहना है कि कई बार एस.डी.ओ. साहब भरतपुर से भुगतान के लिये सम्पर्क किया गया परन्तु आज तक भुगतान नहीं किया गया है। योग्य अभिभाषक प्रार्थीगण ने अवाप्ति भूमि का मुआवजा राशि का मय 18 प्रतिशत के ब्याज सहित भुगतान कराये जाने के आदेश दिये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। अप्रार्थी एन.एच. का अपनी लिखित बहस में भूमि अवाप्ति का विवेचन करते हुये अंकित किया है कि प्रार्थना पत्र राष्ट्रीय परियोजना में व्यवधान उत्पन्न करने एवं मोटी राशि प्राप्त करने के लिये दिया गया है। मुआवजा राशि सक्षम अधिकारी के पास जमा करवा दी गई है। प्रकरण में मुख्य बिन्दू यह देखना है कि :–

.....3

1—आया आवाप्त शुदा आराजी अवार्ड में क्या स्व. मेडू पुत्र रामंचद की विवादित आराजी भी शामिल है।
2— आया स्व. मेडू पुत्र रामंचद को मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है?

का पत्रावली में उपलब्ध अवार्ड सारणी का अवलोकन किया गया। भूमि अवाप्ति अधिकारी(एस.डी.ओ.)भरतपुर द्वारा विवादित आराजी पर अन्य खातेदारान के साथ स्व. मेडू पुत्र रामचंद मुताविक हिस्सा दर्ज है। उक्त खसरा नम्बरान में से अवाप्त शुदा रकवा का मुआवजा अवार्ड भी पारित किया गया है। उपखण्ड अधिकारी भरतपुर से प्राप्त रिपोर्ट पत्रक्रमांक आंबटन/18/26 दिनांक 11.1.2018 में अंकित किया है कि :—

> ''.....राष्ट्रीय राजमार्ग न.11 के चौडीकरण हेतु प्रकरण में आराजी खसरा नम्बर 1765 से 800 वर्गमीटर, 1439से 516वर्गमीटर, 1444 से 1071 वर्ग मीटर, 1798 से 570 वर्गमीटर, 1794 से 7300 वर्गमीटर कुल 10257 वर्गमीटर वाके ग्रांम सेवर की भूमि अवाप्त की गई थी जिसका उक्त खसरा नम्बरान का मुआवजा राशि का अवार्ड पारित राशि 3493607/— का किया गया था। उक्त अवाप्तशुदा आराजी के खातेदार श्री मेढूराम पुत्र रामचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी सेवर की हुई थी। जिसमें मेढूराम की मृत्यू के पश्चात उसके वारिसान के नामान्तकरण में विलम्ब के कारण मुआवजा राशि का वितरण नहीं हो पाया था। अवाप्तशुदा आराजी का भुगतान नहीं किया गया है..।''

इससे स्पष्ट है कि अवाप्त शुदा आराजी खसरा नम्बरान का रकवा एन.एच.—11 के चौड़ीकरण हेतु अवाप्त किया गया हैं जिसका मुआवजा राशि भूमि अवाप्त अधिकारी (एस.डी.ओ.)भरतपुर के यहॉ जमा है। अतः मृतक मेडू के वारिसान मुआवजा राशि एवं उस पर 9 प्रतिशत ब्याज प्राप्त करने के हकदार रहते हैं।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतः आदेश है कि :—

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र (याचिका) प्रार्थीयान स्वीकार की जाती है। भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे आराजी खसरा नम्बर 1765,1439,1444,1798, 1794 ग्राम सेवर तहसील भरतपुर के रकवा में से अवाप्त शुदा रकवा के मेढू के हिस्सानुसार अवाप्त रकवा का मुआवजा उसके वारिसान को मय 9प्रतिशत ब्याज के भुगतान किया जावे। निर्णय प्रति भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) भरतपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 6.2.2018 को सुनाया गया।

(डा.एन.के.गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर